मंज़िल

मेरी बेटी, मेरी शान

समाज में हो उसकी पहचान

- मंज़िल प्रोजेक्ट 17-21 साल तक की युवा लड़कियों को नौकरी एवं स्वरोजगार पाने में मदद करता है।

- मंज़िल का लक्ष्य आपकी बेटी को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है ताकि वो अपने फैसले खुद ले सके।

मंज़िल

IPE GLOBAL
Expanding Horizons. Enriching Lives.

CIFF CHILDREN'S INVESTMENT FUND FOUNDATION

SKILLS • LIVELIHOOD • PROSPERITY • GROWTH
RSLDC

RCSE

SMILE FOUNDATION

मंज़िल के माध्यम से आपकी बेटियां ज़िंदगी में कुछ कर दिखाने की अपनी इच्छा को पूरा कर सकती हैं।

- मंज़िल प्रोजेक्ट का एकमात्र लक्ष्य है कि आपकी बेटियां अपनी रुचि के मुताबिक नए हुनर सीख सकें और आर्थिक रूप से स्वतंत्र बन सकें।
- हम राजस्थान सरकार के साथ मिलकर राज्य के छः ज़िलों में काम कर रहे हैं - जयपुर, टोंक, भीलवाड़ा, अजमेर, उदयपुर और डूंगरपुर।
- इस प्रोजेक्ट को IPE Global द्वारा कार्यान्वित और CIFF द्वारा प्रायोजित किया गया है।

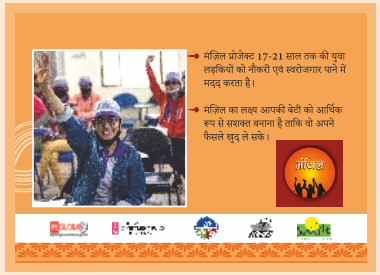

मंज़िल की गतिविधियां

मंज़िल ये काम कैसे करता है?

1. हम उन लड़कियों की पहचान करते हैं जिन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी नहीं की या वो लड़कियां जो नौकरी करना चाहती हैं।
2. हम लड़कियों और उनके परिवार वालों के साथ मिलकर व्यावसायिक शिक्षा और उससे जुड़े हुए रोज़गार के अवसरों के बारे में बताते हैं।
3. हम समझते हैं कि बेटियों की सुरक्षा आपके लिए बहुत ज़रूरी है इसलिए हम उसका पूरा ध्यान रखते हैं।
4. हम आपकी बेटियों की रूचि के अनुसार उन्हें उपयुक्त कौशल विकास कोर्स और नौकरी ढूंढने में मदद करते हैं।
5. हम आपकी सहमति से ये सुनिष्चित करते हैं कि आपकी बेटी कोर्स पूरा करे।
6. हम आपकी बेटियों को रोज़गारन्मुख बनाते हैं।
7. हम आपकी बेटियों को उपलब्ध नौकरी वाले नियोक्ता से जोड़ते हैं।
8. हम योग्य लड़कियों को सार्वजनिक या निजी क्षेत्रों की नौकरियों में अवसर दिलाने में मदद करते हैं।

अगर आपको कोई भी समस्या हो या कुछ भी पूछना हो तो आप बेझिझक हमसे पूछ सकते हैं।

वोकेशनल स्किल्स क्या हैं?

वोकेशनल स्किल्स क्या हैं?

- सरकार ने अपनी अलग-अलग स्कीमों के अंतर्गत कई जिलों में कौशल केंद्र आवंटित किये हैं। जहाँ पर उन्हें विभिन्न व्यावसायिक विषयों के बारे में प्रशिक्षण दिया जाता है, ताकि वो अपने चुने हुए विषय में निपुण हों जिससे उन्हें रोज़गार मिल सके और वो आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बन सके।

- रोज़गार पाने के लिए आवश्यक शिक्षा को वोकेशनल स्किल्स कहते हैं।

- बेटियों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने में वोकेशनल स्किल्स मददगार होते हैं।

- वोकेशनल स्किल्स में कई तरह के विषयों को शामिल किया गया है जैसे की कंप्यूटर, नर्सिंग असिस्टेंट, मशीन ऑपरेटर, कॉल सेंटर एग्जीक्यूटिव आदि।

वोकेशनल स्किल्स कौन सीख सकते हैं ?

17 से 21 वर्ष
की कोई भी युवती

स्कूल में पढ़ने
वाली लड़कियां

स्कूल से
ड्रॉपआउट लड़कियां

वोकेशनल स्किल्स कौन सीख सकते हैं ?

- 17 से 21 वर्ष की आयु की कोई भी युवती वोकेशनल स्किल्स सीख सकती है।
- ये स्किल्स स्कूल में भी सिखाये जाते हैं जहाँ लड़कियां आराम से इन वोकेशनल स्किल्स को सीख सकती हैं।
- जो लड़कियां स्कूल में नहीं हैं या आठवीं/दसवीं पास हैं, वो कौशल विकास केंद्रों में जाकर ये स्किल्स सीख सकती हैं।

वोकेशनल स्किल्स यह सुनिश्चित करते हैं कि उनकी मदद से आपकी बेटी को रोज़गार मिलने में मदद मिले।

- **अधिक जानकारी के लिए हम आपको विस्तृत पत्रिका भी देकर जायेंगे।**
- **वोकेशनल स्किल्स सीखने के लिए कई केंद्र हैं। सरकार द्वारा बनाये गए केंद्रों के अलावा गैर-सरकारी संगठन और सी.एस.आर हैं जहाँ ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह के कोर्सेज सिखाए जा रहे हैं।**

नोट : कृपया उदाहरण के लिए अपने आस-पास उपलब्ध स्किल केंद्रों के नाम सबको बताएं।

आप कौन-कौन से स्किल्स सीख सकते हैं?

टेक्सटाइल
और हैंडलूम

बैंकिंग फाइनेंसियल
सर्विस और इंस्युरेन्स

रीटेल

एग्रीकल्चर

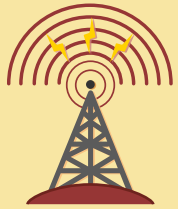

टेलीकॉम

आईटी/आईटीईएस

स्वास्थ्य देखभाल

ट्रेवल, टूरिज्म
और हॉस्पिटैलिटी

इलेक्ट्रिकल

अपैरल मेड-अपस
और होम फर्निशिंग

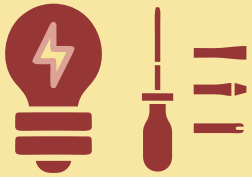

इलेक्ट्रॉनिक्स और हार्डवेयर

सिक्योरिटी

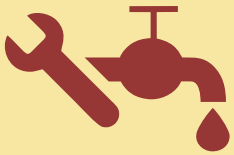

प्लंबिंग

ऑटोमोटिव

ब्यूटी और वैलनेस

आप कौन-कौन से स्किल्स सीख सकते हैं?

- टेक्सटाइल और हैंडलूम
- बैंकिंग फाइनेंसियल सर्विस और इंस्युरेन्स
- रीटेल
- एग्रीकल्चर
- टेलीकॉम
- आईटी/आईटीईएस
- स्वास्थ्य देखभाल
- ट्रेवल, टूरिज्म और हॉस्पिटैलिटी
- इलेक्ट्रिकल
- अपैरल मेड-अपस और होम फर्निशिंग
- इलेक्ट्रॉनिक्स और हार्डवेयर
- सिक्योरिटी
- प्लंबिंग
- ऑटोमोटिव
- ब्यूटी और वैलनेस

अलग-अलग क्षेत्रों में लगभग 500 कोर्सेज उपलब्ध हैं।

ये पाठ्यक्रम आपकी बेटियों को कैसे लाभ पहुंचा सकते हैं?

ये कोर्सेज...

...आपकी बेटी को सम्मानित जीवन देने के लिए तैयार करते हैं और उनके जीवन में आने वाली चुनौतियों का सामना करने के लिए उन्हें सशक्त बनाते हैं जैसे -

- **कंप्यूटर चलाने की बुनियादी शिक्षा** - आजकल कंप्यूटर आपके जीवन का अभिन्न अंग है। कंप्यूटर के माध्यम से आपकी बेटी दुनियाभर की जानकारी ले सकती है और अपनी जानकारी बढ़ा सकती हैं।

- **नौकरी ढूंढने और करने की समझ** - इससे आपकी बेटी आर्थिक रूप से स्वतंत्र बन जाएगी। आपकी बेटी की नौकरी के इंटरव्यू के लिए भी उसे तैयार किया जाएगा।

- **कम्युनिकेशन स्किल्स** - इसके तहत आपकी बेटी अपने बातों और विचारों को प्रभावी तरीके से रख पायेगी और इंटरव्यू देने के तौर तरीके के बारे में सीखेगी।

- **व्यक्तित्व विकास** - आजकल हर व्यक्ति में किसी हुनर का होना ज़रूरी है। अगर आपको इन स्किल्स का ज्ञान नहीं होगा तो आपकी बेटी ज़िंदगी में पीछे रह जाएगी। यह सब सीखने से उसके व्यक्तित्व में निखार आएगा।

- **आर्थिक स्वतंत्रता** - वोकेशनल स्किल्स की मदद से आपकी बेटी आर्थिक रूप से स्वतंत्र बन पायेगी और अपना भविष्य उज्जवल कर पायेगी।

मंज़िल आपकी नौकरी पाने में कैसे मदद करता है ?

प्री-प्लेसमेंट काउंसलिंग

जॉब प्रोफाइल बनाना

रोज़गार प्रदाता की पहचान

प्लेसमेंट इंटरव्यू

आवासीय सुविधाओं में मदद

वेतन संरचना

दस्तावेजीकरण में मदद

प्लेसमेंट के बाद ट्रैकिंग

ड्रॉपआउट्स की काउंसलिंग

मंज़िल आपकी कैसे मदद करता है?

मंजिल आपकी बेटी की इन चीजों में मदद करता है:

1. प्री-प्लेसमेंट काउंसलिंग
2. जॉब प्रोफाइल बनाना
3. रोज़गार प्रदाता की पहचान
4. प्लेसमेंट इंटरव्यू
5. आवासीय सुविधाओं में मदद
6. वेतन संरचना
7. औपचारिकताओं पर सत्र
8. प्लेसमेंट के बाद ट्रैकिंग
9. दस्तावेजीकरण में मदद

- आपकी बेटी की नौकरी पाने में उनकी मदद करते हैं और नौकरी के इंटरव्यू के लिए भी उन्हें तैयार करते हैं।
- हम नियोक्ता के साथ लगातार संपर्क में रहकर आपकी बेटियों की कार्य गतिविधियों का निरिक्षण करते हैं और कार्य के दौरान किसी भी तरह की समस्या होने पर हम उसका निवारण करते हैं।
- हम नियोक्ता का जेंडर ऑडिट करते हैं ताकि आपकी बेटियों को उनके काम करने के अनुकूल माहौल मिले।
- अगर आपकी बेटी को कोई परेशानी या तकलीफ है, तो हम नौकरी बदलने में भी उनकी मदद करते हैं।
- मंज़िल अपने ऍप के माध्यम से समय-समय पर नौकरी की पोस्टिंग करती है।

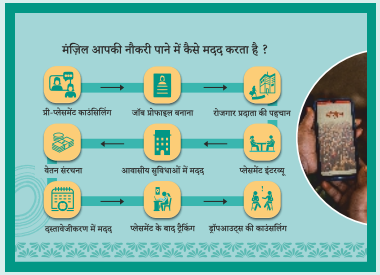

मंज़िल की उपलब्धियां और आगे के लक्ष्य।

मंज़िल ने अब तक...

- 6000 युवा ग्रामीण लड़कियां जो अधिकांशतः वंचित समुदाय से थीं और स्कूल छोड़ चुकी थीं, उनका कौशल विकास केंद्रों में दाखिला करवाया गया जिसके प्रशिक्षण के बाद 2000 से अधिक लड़कियों को रोज़गार दिलवाया गया।
- स्कूल में पढ़ने वाली 28,000 लड़कियों को वोकेशनल स्किल्स का प्रशिक्षण सुनिश्चित किया।
- कोविड काल के दौरान भी 2000 से ज़्यादा बालिकाओं को डिजिटल ऑनलाइन प्लेटफार्म के माध्यम से विभिन्न विषयों में प्रशिक्षण दिलवाया गया।
- 300 से अधिक जरूरतमंद बालिकाओं को एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स की ट्रेनिंग दी गयी।

और हमारा आगे का लक्ष्य है...

- मंज़िल कार्यक्रम के माध्यम से 1 लाख 30 हज़ार लड़कियों को कौशल प्रशिक्षण से जोड़ना।
- लगभग 32,000 लड़कियों को नौकरी के अवसर दिलवाना।

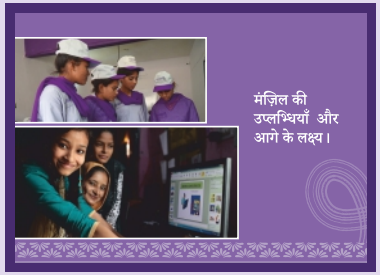

आइए बात करें...

आइए बात करें...

मुझे उम्मीद है कि अब आप सभी अपनी बेटियों को वोकेशनल स्किल ट्रेनिंग से सशक्त बनाने के बारे में सोचेंगे और उनका साथ देंगे।

चेकलिस्ट

नौकरी सम्बंधित काउंसलिंग पर मंज़िल दीदी के लिए चेकलिस्ट

स्किलिंग के बारे में -

- ☐ करियर के विकल्प और लड़कियों की रुचि के अनुसार विषय।
- ☐ स्थानीय औधोगिक मांग के अनुसार ज़रूरी कौशल ।
- ☐ वर्तमान में संचालित कौशल विकास केंद्रों की सूचि।
- ☐ उनके गृह जिले के बाहर उपलब्ध कौशल केंद्र में दाखिले के लिए उनके और उनके परिवार की काउंसलिंग।
- ☐ ट्रेनिंग के स्थान परिवर्तन पर बातचीत। (एक वीडियो दिखाएं जिसमें ये दिखे कि किस तरह मंज़िल की मदद से एक लड़की को परीक्षा के लिए तैयार किया गया, कैसे उसे नवगुरुकुल की प्रवेश परीक्षा में सफलता मिली और अब राजस्थान के एक गांव से निकलकर वो पुणे जा रही है।)

नौकरियों के बारे में -

- ☐ लड़की को कौशल प्रशिक्षण के बाद रोजगार करने की आवश्यकता पर सघन चर्चा।
- ☐ ये भी सुनिश्चित करें की उनकी वेतन सम्बन्धी सभी शंकाएं और अपेक्षाएं जैसे की EPF /ESI /ग्रॉस और इन हैंड सैलरी आदि उन्हें स्पष्ट हों।
- ☐ सभी माता-पिता को कार्यस्थलों से परिचित कराएं। (कार्यस्थल का एक वीडियो दिखाएं जहां मंज़िल से जुड़ी लड़कियां आज काम कर रही हैं।)

यदि नौकरी का अवसर मिले...

- ☐ सैलरी की जानकारी (हाथ में सैलरी, PF, ESI और कई अन्य लाभ), परिवहन और कार्यस्थल के आस-पास रहने की सुविधा।
- ☐ माता-पिता को बताएं कि हम लड़कियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कार्यस्थलों पर जाकर निरिक्षण करते हैं। (वीडियो दिखाएं)
- ☐ लड़कियों की प्लेसमेंट के बाद रोज़गार प्रदाता से नियमित संपर्क में रहकर उनकी निगरानी करते हैं।
- ☐ इंडस्ट्री की परम्पराओं और नियमों के बारे में पूरी जानकारी दें ताकि माता-पिता और लड़कियों को स्पष्ट और सही तरह पता चल सके कि किसी इंडस्ट्री का हिस्सा होने का मतलब क्या है और इनके नियमों का पालन करना कितना ज़रूरी है।

बाल विवाह से
सम्बंधित जानकारी

बाल विवाह

बाल विवाह एक सामाजिक बुराई है, जिसके परिणामस्वरूप अक्सर लड़कियों की शिक्षा, स्वास्थय और सामाजिक स्तिथि पर बुरा असर पड़ता हैं और खुशहाल जीवन जीने से वंचित रह जाती हैं।

बाल विवाह अभी तक क्यों होते हैं?

- अधिकांश परिवार लड़कियों को बोझ समझकर जल्दी विवाह करवाना बेहतर समझते हैं।
- लड़कियों की शिक्षा को प्राथमिकता नहीं दी जाती है उनकी प्राथमिक ज़िम्मेदारी परिवार की देखभाल करना मानी जाती है जिसके कारण वो आर्थिक रूप से मदद नहीं कर पाती हैं।
- लड़कियों को घर की इज़्ज़त से जोड़कर देखा जाता हैं और इसीलिए उनका बेहतर शिक्षा के बजाये जल्दी विवाह कर दिया जाता हैं।
- शिक्षा और जानकारी का आभाव।
- समुचित रूप से बाल विवाह अधिनियम का लागू ना होना।

बाल विवाह का प्रभाव

अधिकारों का उल्लंघन

- शिक्षा का अधिकार
- स्वस्थ जीवन का अधिकार
- रोज़गार का अधिकार
- निर्णय लेने का अधिकार (ज़बरदस्ती शादी)

प्रभाव

- आर्थिक अवसरों की कमी
- जल्दी बच्चे के जन्म के कारण खराब स्वास्थ्य
- घरेलु हिंसा
- खुशी से जीने में असमर्थता

बाल विवाह का प्रभाव

- भारत सरकार ने वर्ष 2006 में प्रोहिबिशन ऑफ़ चाइल्ड मैरिज एक्ट, 'पी.सी.एम.ए' के माध्यम से बाल विवाह पर रोक लगाई।
- नियम के अनुसार, एक बच्चे को एक ऐसे व्यक्ति के रूप में परिभाषित करता है जिसमें, महिलाओं के मामले में 18 वर्ष और पुरुषों के मामले में 21 वर्ष, पूरे नहीं किए गए हों।
- नियम तोड़ने पर दो साल के कठोर कारावास या जुर्माने में 2 लाख रुपये की सज़ा।
- पति के बालिग होने की स्थिति में, भरण-पोषण का भुगतान करना होगा।
- अगर पति नाबालिग है तो उसके माता-पिता भरण-पोषण के भुगतान के लिए उत्तरदायी होंगे।
- अगर किसी लड़की ने 18 साल की उम्र प्राप्त करने के 2 वर्ष के अंदर बाल विवाह में प्रवेश किया है, तो उस लड़की की रक्षा के लिए एक कानून है जिसे 'न्यूलिटि कानून' कहते हैं। इसकी मदद से उस शादी का महत्व शून्य हो जाएगा।
- कोई भी बाल विवाह को रोक सकता है यदि वह जानता है कि किसी लड़की के साथ ऐसी घटना होने वाली है।
- समुदाय और पुलिस को सूचित करें।

कौशल विकास योजनाओं से सम्बंधित जानकारी

राजस्थान सरकार की पहल

2004 में, राजस्थान पहले राज्यों में से एक था जिसने आजीविका पर आधारित राजस्थान कौशल मिशन की स्थापना करी। इसका नाम बदलकर 'राजस्थान राज्य आजीविका विकास निगम' (RSLDC) कर दिया गया। इसका मुख्य उद्देश्य बेरोज़गारी की चुनौतियों का समाधान और यहां के युवाओं का स्थायी रोज़गार सुनिश्चित करने का था, जो मुख्य रूप से गरीब परिवारों से हैं।

आरएसएलडीसी योजनाएं हैं

दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना, ग्रामीण क्षेत्र के गरीब और बेरोजगार युवाओं के लिए रोजगार आधारित कार्यक्रम है। इसके अंतर्गत आवासीय और गैरे-आवासीय दोनो प्रकार के प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जाते हैं।

- पात्रता- उम्र- 18-35 वर्ष ग्रामीण शहरी तथा राजस्थान राज्य के नागरिक।
- दस्तावेज़- शैक्षणिक प्रमाणपत्र, जाती प्रमाणपत्र, राशन कार्ड, 6 फोटो, BPL कार्ड, आधार कार्ड, मूल निवासी प्रमाणपत्र।

रोज़गार आधारित जन कौशल विकास कार्यक्रम के तहत, शाला त्यागी/बेरोज़गार युवक/युवतियों का चयन प्रशिक्षण के लिए किया जाता है। यह राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित योजना है। इस योजना के अंतर्गत आवासीय और गैरे-आवासीय दोनो प्रकार के प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जाते हैं। इस कार्यक्रम के बैच में 10% अल्पसंख्यक और 5% दिव्यांगजन के लिए सीट आरक्षित रखी गई है। प्रशिक्षाणार्थीयों के लिए आवेदन शुल्क महिला तथा अनुसूचित जाती, अनुसूचित जनजाती ,अन्य पिछड़े वर्ग, अल्पसंख्यक =300/ तथा सामान्य वर्ग के लिए 600/-

- पात्रता- उम्र- 15-35 वर्ष ग्रामीण शहरी तथा राजस्थान राज्य के नागरिक।
- दस्तावेज़- शैक्षणिक प्रमाणपत्र, जाती प्रमाणपत्र, राशन कार्ड, 6 फोटो, BPL कार्ड, आधार कार्ड, मूल निवासी प्रमाणपत्र।

आरएसएलडीसी योजनाएं हैं

समदृष्टि, क्षमता विकास एवं अनुसंधान मंडल
सक्षम
पंजीयन क्रमांक – MAH/664/2008(N)
विकलांगो के विकास हेतु संमर्पित राष्ट्रीय संगठन

समर्थ
कौशल से आत्मनिर्भर

राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित स्वरोजगार आधारित प्रशिक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत, आवासीय और गैर-आवासीय दोनो प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जाते हैं। प्रशिक्षाणार्थीयों के लिए आवेदन शुल्क महिला तथा अनुसूचित जाती, अनुसूचित जनजाती, अन्य पिछड़े वर्ग, अल्पसंख्यक =200/ तथा सामान्य वर्ग के युवाओं के लिए 300/-

- पात्रता-उम्र- 15-45 वर्ष ग्रामीण शहरी तथा राजस्थान राज्य के नागरिक।
- दस्तावेज़- शैक्षणिक प्रमाणपत्र, जाती प्रमाणपत्र, राशन कार्ड, 6 फोटो, BPL कार्ड, आधार कार्ड, मूल निवासी प्रमाणपत्र।

राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित स्वरोजगार आधारित प्रशिक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत, आवासीय और गैर-आवासीय दोनो प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जाते हैं। लाभार्थी प्रशिक्षाणार्थी युवा, महिला, जेल के कैदी, नारी-निकेतन की महिला, विशेष योग्यजन, अत्यंत गरीब परिवार के युवा हैं। प्रशिक्षाणार्थीयों के लिए आवेदन शुल्क महिला तथा अनुसूचित जाती, अनुसूचित जनजाती, अन्य पिछड़े वर्ग, अल्पसंख्यक =200/ तथा सामान्य वर्ग के युवाओ के लिए 300/-

- पात्रता- उम्र - 15-45 वर्ष ग्रामीण, शहरी तथा राजस्थान राज्य के नागरिक।
- दस्तावेज़- शैक्षणिक प्रमाणपत्र, जाती प्रमाणपत्र, राशन कार्ड, 6 फोटो, BPL कार्ड, आधार कार्ड, मूल निवासी प्रमाणपत्र।

इंदिरा महिला शक्ति प्रशिक्षण व कौशल संवर्धन योजना

इस योजना के अंतर्गत, राज्य की सभी बालिकाओं तथा महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, तथा उनके लिए लघु-उद्योग विकास से सम्बंधित गैर-आवासीय प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जाते हैं।

- पात्रता- उम्र– 15-45 वर्ष ग्रामीण शहरी तथा राजस्थान राज्य के नागरिक।
- दस्तावेज़- शैक्षणिक प्रमाणपत्र, जाती प्रमाणपत्र, राशन कार्ड, 6 फोटो, BPL कार्ड, आधार कार्ड, मूल निवासी प्रमाणपत्र।

मुख्यमंत्री युवा संबल योजना

यह बेरोज़गार युवक व युवतियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम है, जिनका रोज़गार कार्यालय में पंजीयन हो चूका है। रोज़गार भत्ता प्राप्त करने के लिए राज्य सरकार द्वारा इस प्रशिक्षण कार्यक्रम को अनिवार्य किया गया है। यह कार्यक्रम गैर-आवासीय है। प्रशिक्षाणार्थीयों के लिए आवेदन शुल्क महिला तथा अनुसूचित जाती, अनुसूचित जनजाती, अन्य पिछड़े वर्ग, अल्पसंख्यक =300/ तथा सामान्य वर्ग के युवाओं के लिये 600/-

- पात्रता- 18-35 वर्ष, योग्यता– ग्रेजुएट, ग्रामीण शहरी तथा राजस्थान राज्य के नागरिक।
- दस्तावेज़- शैक्षणिक प्रमाणपत्र, जाती प्रमाणपत्र, राशन कार्ड, 6 फोटो, BPL कार्ड, आधार कार्ड, मूल निवासी प्रमाणपत्र।

PMKVY
प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना
PRADHAN MANTRI KAUSHAL VIKAS YOJANA

प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना **(PMKVY)** केंद्र सरकार द्वारा युवाओं के लिए शुरू की गयी फ्लैगशिप योजना में से एक है। PMKVY के ज़रिये इसकी शुरुआत 2015 में की गयी थी, जिसका उद्देश्य कम शिक्षित जैसे 10वीं, 12वीं कक्षा, या फिर जो बीच में स्कूल छोड़ देते हैं, वैसे युवाओं को प्रशिक्षण देना और उन्हें कौशल बनाना है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य भारत के युवाओं के टैलेंट को पहचान कर उन्हें इस लायक बनाना है कि वो अपने लिए रोज़गार हासिल कर सकें। इस योजना को **कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय (MSDE)** द्वारा चलाया जा रहा है।

प्रस्तावित योजना के तहत कौशल प्रशिक्षण तीन श्रेणियों में प्रदान किया जाएगा, अर्थात्:

१. शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग (एसटीटी)

२. पूर्व शिक्षा की मान्यता (आरपीएल)

३. विशेष परियोजनाएं